



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266510
CG-DL-E-29092025-266510

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]
No. 265]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

व्यापार उपचार महानिदेशालय
नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2025

समाप्ति अधिसूचना
(मामला सं. एडी (ओआई) -11/2024)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सिलोक्सेन पॉलीऑक्सी एल्कीलीन कोपोलिमर जिनकी श्यानता 2500 सीएसटी तक हो" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की समाप्ति।

फा. सं.6/13/2024 -डीजीटीआर.-

क परिचय

- मेसर्स मोमेंटिव परफॉरमेंस मटीरियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "मोमेंटिव" या "आवेदक" कहा जाएगा) ने समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियम" या "एडी नियम, 1995" कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा जाएगा) के समक्ष चीन पीआर ("संबद्ध

देश") में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए "2500 सीएसटी तक श्यानता वाले सिलोक्सेन पॉलीऑक्सीएल्कलीन कोपोलिमर" ("विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु") के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने विधिवत प्रमाणित आवेदन के मद्देनजर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/13/2024-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर, 2024 के तहत एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू की गई, जो पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार है, ताकि विषयगत वस्तुओं के कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने एडी नियम, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले भारत में संबंधित देश के दूतावास को वर्तमान एंटी-डंपिंग आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने 30 सितंबर, 2024 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच शुरू की गई थी।

ग. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, भारत में विषय देश के दूतावास, संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, विषय वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। इच्छुक पार्टियों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें और जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपनी प्रस्तुतियाँ दें।

घ. प्राधिकारी ने विज्ञापन नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार आवेदक द्वारा दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और भारत में संबंधित देश के दूतावास को भी परिचालित की

ड. भारत में संबंधित देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली पर अपने उत्तर प्रस्तुत करें। संबंधित देश के दूतावास को पत्र की एक प्रति और उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी गई थी, साथ ही संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते भी भेजे गए थे।

च. प्राधिकारी ने एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार संबंधित देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:

क. इवोनिक स्पेशलिटी केमिकल्स शंघाई कंपनी लिमिटेड

ख. शीजियाजूआंग हेजिया केमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

ग. जियांगसू मेस्टा केमिकल कंपनी लिमिटेड

घ. योक केमिकल्स एंड न्यू मैटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड

ड. शीजियाजूआंग हेजिया केमिकल

छ. संबंधित देश के निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. इवोनिक स्पेशियलिटी केमिकल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबंधित वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचना मांगते हुए प्रश्नावली भेजी:

- क रेकाज़ केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- ख इवोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ग मेसर्स सैम एंटरप्राइजेज
- घ प्यारेलाल फोम्स प्राइवेट लिमिटेड
- ङ आर. पी. फोम होम प्राइवेट लिमिटेड
- च एक्सपेंडेड पॉलीमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
- छ सान ग्लोबल लिमिटेड
- ज प्राइम कम्फर्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

झ. निम्नलिखित आयातक ने आयातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया प्रस्तुत की:

- क इवोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ज. इच्छुक पक्षों को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए आवेदन के अगोपनीय संस्करण के प्रसार की तिथि से 30 दिनों का समय दिया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों में से एक, इवोनिक स्पेशियलिटी केमिकल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं और किसी अन्य इच्छुक पक्ष ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर पीयूसी या पीसीएन के दायरे के लिए प्राधिकरण को कोई टिप्पणी या प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

ट. तदनुसार, 27 नवंबर, 2024 को पीयूसी और पीसीएन के दायरे को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। प्राधिकरण ने 11 दिसंबर, 2024 के नोटिस के तहत विषयगत जांच में पीयूसी के दायरे को अधिसूचित किया। प्राधिकारी ने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करने के लिए इच्छुक पक्षों को 11 दिसंबर, 2024 से 30 दिनों का समय दिया।

ठ. डीजी सिस्टम्स से क्षति जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह विवरण वर्तमान में प्राधिकारी को प्राप्त हो गया है।

ड. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों को 30 जुलाई, 2025 को डीजीटीआर, चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001 के सम्मेलन कक्ष में हाइब्रिड रूप में, अर्थात् डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित मौखिक सुनवाई के माध्यम से, विषयगत जांच के संबंध में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले इच्छुक पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों का लिखित निवेदन प्रस्तुत करें, जिसके बाद यदि कोई हो, तो प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करें। इच्छुक पक्षों को लिखित निवेदनों का अगोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पक्षों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।

ढ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है। वर्तमान जांच के लिए क्षति अवधि 01 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 01 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 01 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई है।

ण. प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण 8 सितंबर, 2025 को सभी इच्छुक पक्षों को परिचालित किया। प्रकटीकरण विवरण पर घरेलू उद्योग सहित विभिन्न पक्षों द्वारा टिप्पणियाँ दायर की गईं।

ग घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध प्राप्त

4. आवेदक ने 24 सितंबर, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि उनके आवेदन को वापस लिया गया माना जाए। उनके अनुरोध में निम्नलिखित उल्लेख है:

"अपने मुवक्किल के निर्देशों के तहत, हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि वर्तमान आवेदन दाखिल करने के बाद, बाजार की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ए) के अनुसार वर्तमान आवेदन वापस लेना चाहता है और उसे मौजूदा बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर एक नया आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता है।"

घ प्राधिकारी द्वारा जांच

5. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के आधार पर यह जांच की थी, जिसमें दावा किया गया था कि संबंधित देश से डंप किए गए आयात के कारण भौतिक क्षति हुई है। घरेलू कंपनी द्वारा 24 सितंबर, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से किए गए अनुरोध की तदनुसार जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करता है कि नियमावली का नियम 14 (ए) निम्नानुसार है:

"14. जांच की समाप्ति। - निर्दिष्ट प्राधिकारी, सार्वजनिक नोटिस जारी करके, जांच को तत्काल समाप्त कर देगा यदि -

(क) उसे प्रभावित घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी"

6. यह ध्यान दिया जाता है कि नियम 14 कुछ स्थितियों में जाँच को समाप्त करने का प्रावधान करता है, जिसमें वह स्थिति भी शामिल है जहाँ प्रभावित घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है, जिसके कहने पर जाँच शुरू की गई थी। नियमावली के नियम 14 (क) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रभावित घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से लिखित रूप में ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, सार्वजनिक सूचना जारी करके, जाँच को तुरंत समाप्त कर देगा।
7. वर्तमान जाँच में, मेसर्स मोमेंटिव परफॉर्मेंस मैटेरियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आवेदक घरेलू उत्पादक है, जिसके कहने पर जाँच शुरू की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग मौजूदा बाजार स्थिति को देखते हुए अपना आवेदन वापस लेना चाहता है।

ङ निष्कर्ष

8. घरेलू उद्योग, मेसर्स मोमेंटिव परफॉर्मेंस मैटेरियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए उपर्युक्त अनुरोध के मद्देनजर, और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 14(ए) के प्रावधानों के तहत, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जनवादी गणराज्य में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "2500 सीएसटी तक श्यानता वाले सिलोक्सेन पॉलीऑक्सीएल्कलीन कोपोलिमर्स" के आयात के विरुद्ध अधिसूचना संख्या 6/13/2024-डीजीटीआर के तहत 30 सितंबर, 2024 को शुरू की गई जांच को समाप्त करते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, (निर्दिष्ट पदाधिकारी)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(Department of Commerce)

Directorate General of Trade Remedies, DGTR

TERMINATION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2025

Case No. AD (OI)-11/2024

Subject: Termination of Anti-dumping investigation concerning imports of Siloxane Polyoxyalkylene Copolymers having viscosity upto 2500 cst from China PR

F. No. 6/13/2024-DGTR.—

A. Introduction

1. M/s Momentive Performance Material (India) Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the “Momentive” or “Applicant”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or “AD Rules, 1995”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of the “Siloxane Polyoxyalkylene Copolymers having viscosity upto 2500 cst” (“product under consideration” or “subject goods”) originating in or exported from China PR (“subject country”).
2. The Authority, in view of the duly substantiated application filed, issued a public notice vide Notification No. 6/13/2024-DGTR dated September 30, 2024, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, 1995 to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. Procedure

3. The following procedure has been followed with regard to this investigation:
 - a. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules, 1995.
 - b. The Authority issued a public notice dated September 30, 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, the known importers/users of the subject goods and other interested parties, as per the information provided by the applicant. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and to make their submissions known in writing within the time limit prescribed by the initiation notification.

- d. The Authority also circulated copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant to the known producers/exporters, known importers/users and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, 1995.
- e. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification. The embassy of the subject country was also sent a copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters along with the names and addresses of the known producers /exporters from the subject country.
- f. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995:
 - i. Evonik Specialty Chemicals Shanghai Co. Limited
 - ii. Shijiazuang Hejia Chemical Products Co. Limited
 - iii. Jiangsu Maysta Chemical Co. Limited
 - iv. Yoke Chemicals and New Materials (Shanghai) Co. Limited
 - v. Shijiazhuang Hejia Chemical
- g. Following producer / exporter from the subject country has submitted the exporters' questionnaire response:
 - i. Evonik Specialty Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.
- h. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - i. Recaz Chemicals (India) Private Limited
 - ii. Evonik India Private Limited
 - iii. Ms Sam Enterprises
 - iv. Pyarelal Foams Private Limited
 - v. R P Foam Home Private Limited
 - vi. Expanded Polymer Systems Private Limited
 - vii. Saan Global Limited
 - viii. Prime Comfort Products Private Limited
- i. The following importer submitted the importer questionnaire response:
 - i. Evonik India Private Limited
- j. Interested parties were provided 30 days' time from the date of circulation of non-confidential version of application, to file their comments on the scope of PUC and PCN methodology. One of the producers / exporters, Evonik Specialty Chemicals (Shanghai) Co. Ltd. filed its comments on scope of PUC and PCN methodology and no other interested party provided any comments or proposals to the Authority for the scope of PUC or PCN within the prescribed timelines.
- k. Accordingly, a meeting was conducted to finalize the scope of PUC and PCN on November 27, 2024. The Authority notified the scope of PUC in the subject investigation *vide* notice dated December 11, 2024. Authority granted 30 days' time to the interested parties from December 11, 2024 to file questionnaire responses.

- l. The DG Systems was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period. The same was received by the Authority for the present.
- m. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, 1995 the Authority provided an opportunity to the interested parties for presenting their views orally regarding the subject investigation through an oral hearing held in hybrid form, i.e., digital video conferencing and physically in the conference room of DGTR, 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, Patel Chowk, New Delhi-110001 on July 30, 2025. The interested parties who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions with the other interested parties.
- n. The period of investigation ("POI") for the purpose of the present investigation is 01st April 2023 to 31st March 2024. The injury period for the present investigation is 01st April 2020 – 31st March 2021, 01st April 2021 – 31st March 2022, 01st April 2022 – 31st March 2023 and the POI.
- o. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on September 8, 2025. Comments on the Disclosure Statement were filed by various parties, including the domestic industry.

C. Request received from domestic industry

4. The applicant, through their letter dated September 24, 2025 has requested that their application be treated as withdrawn. Their request states as under –

"Under instructions from our client, we would like to bring to your kind attention that post filing of the present application, there have been significant changes in the market situation. Accordingly, the Domestic Industry seeks to withdraw the present application in terms of rule 14(a) of the Anti-dumping Rules with the liberty to file a fresh application at an appropriate stage considering the prevailing market situation."

D. Examination by the Authority

5. The Authority had undertaken this investigation based on the petition filed by the domestic industry, claiming material injury on account of dumped imports from the subject country. The request made by the domestic vide its letter dated September 24, 2025 has accordingly been examined. The Authority notes that Rule 14(a) of the Rules reads as under:

*"14. Termination of Investigation. - The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if -
(a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated"*

6. It is noted that Rule 14 provides for termination of investigations in certain situations which includes a situation where the application is withdrawn by the domestic industry being affected, at whose instance the investigation was initiated. Rule 14 (a) of Rules provides that the Designated Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if it receives such a request in writing from or on behalf of the affected domestic industry.

7. In the present investigation M/s Momentive Performance Material (India) Pvt. Ltd. is the applicant domestic producer, on whose instance the investigation was initiated. The Authority notes that the domestic industry desires to withdraw its application in view of the prevailing market situation.

E. Conclusion

8. In view of the aforesaid request made by the domestic industry, M/s Momentive Performance Material (India) Pvt. Ltd., and under the provisions of Rule 14(a) of the AD Rules, 1995 the Authority hereby terminates the investigation initiated on September 30, 2024 vide notification No. 6/13/2024-DGTR against the imports of “Siloxane Polyoxyalkylene Copolymers having viscosity upto 2500 cst” originating in or exported from China PR.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority